201

संख्या– /XVIII-(2)/16-4(14)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 **देहरादून: दिनांक 07 अप्रैल, 2016**

विषय:– वित्तीय वर्ष 2016–17 में आगामी मानूसन अवधि एवं चारधाम यात्रा के दृष्टिगत राज्य आपदा मोचन निधि से, अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान तथा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत कार्यो हेतु जिलाधिकारियों के निवर्तन पर अग्रिम धनराशि रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में में आगामी मानूसन अवधि एवं चारधाम यात्रा के दृष्टिगत किसी भी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से आच्छादित प्रकरणों में राज्य आपदा मोचन निधि के नवीनतम मानकों के अंतर्गत अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान एवं प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत आदि कार्यो हेतु संलग्न विवरणानुसार कुल ₹ 35.00 करोड़ (₹ पैतीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर अग्रिम रूप से रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

2– भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा–निर्देश दिनांक 08.04.2015 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो में मरम्मत हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो यथा–मार्गो एवं पुलों, पेयजल आपूर्ति से संबन्धित अवसंरचनायें (हैण्ड पम्प, कुंऐं, टैंक, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन इत्यादि), विद्युत (केवल ऐसे क्षेत्रों जहां तात्कालिक रूप से विद्युत व्यवस्था की जानी होगी), प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु धनराशि व्यय की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में ही मरम्मत कार्य पूर्ण किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों में व्यय की जायेगी। तदोपरान्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत आदि पर व्यय की जायेगी।

4– आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्यो के लिए किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के दिशा–निर्देशों में अनुमन्य हैं।

5– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

201A (4)

6— स्वीकृत धनराशि का वितरण तत्परता पूर्वक कराया जायेगा, जिसे प्रभावितों को शीघ्रातिशीघ्र राहत राशि का वितरण सुनिश्चित हो सके।

7— प्रभावितों की सम्यक पहचान एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जायेगा। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8— स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

9— व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

10— स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

11— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान (1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2016 तक) के अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800– अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

12— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–05 NP/वित्त अनु0–5/2016, दिनांक 07 अप्रैल, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 817 (1)/XVIII-(2)/16-4(14)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3— आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7— निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8— निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11— गार्ड फाइल।

7-4-2016

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव

2013

शासनादेश संख्या–817 /XVIII-(2)/2016-4(14)/2015, दिनांक 07 अप्रैल, 2016 का संलग्नक

क्र.सं.	जनपद	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)
1	उत्तरकाशी	300.00
2	टिहरी गढ़वाल	300.00
3	पौड़ी गढ़वाल	300.00
4	चमोली	300.00
5	रूद्रप्रयाग	300.00
6	अल्मोड़ा	300.00
7	पिथौरागढ़	300.00
8	बागेश्वर	300.00
9	नैनीताल	300.00
10	देहरादून	200.00
11	हरिद्वार	200.00
12	चम्पावत	200.00
13	ऊधमसिंहनगर	200.00
		3500.00

(₹ पैंतीस करोड़ मात्र)

7-4-2016

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव